नम्बर.....किस्म..... .....उनवान.....

यालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दिनांक	फर्द अहकाम
8/7	पत्रावली पेश हुई। शायल वकील उप० शायल वकील के मध्यनजर कथन कि शायल प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं। शायल के प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है। अ० सं० प्र० सं० 225/2023 U/S 323 IPC में नाम मुलजिम से हटाया जाता है। पत्रावली निस्तारण होकर समय से समर्पित। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 15:59:41 IST
Reason: SelfAttested